देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com
(A Digital Media Initiative to promote Good Governance)

Volume –2021/mmp/200 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | गुरुवार, 23 सितम्बर 2021

आखिर जयपुर के सबसे पॉश इलाके वैशालीनगर की 9 कॉलोनियाँ विकसित होने के बावजूद पट्टों से महरूम क्यूँ है?

नेताजी के चुनावी वादे साबित हुए कागजी शेर!!

इन्ही 9 कोलोनियों से चुनाव के समय बढ़त बनाने वाले और वर्तमान सरकार मे मंत्री महोदय से इलाके की जनता नाराज!!!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

सरकारी जमीन को नेताजी बेच खाये|बची खुची कसर उनकी धर्मपत्नी ने पूरी कर दी|

आपको बता दें कि कई साल पहले ग्राम बीड खातीपुरा(वर्तमान मे वैशाली नगर का हिस्सा) की 150 बीघा जमीन को तत्कालीन एमएलए श्री मोती लाल को 30 साल की अवधि के लिए डेयरी कार्य के लिए तत्कालीन सरकार द्वारा आवंटित की गयी थी|इस जमीन को उनके द्वारा राजस्व रिकॉर्ड मे खातेदारी के रूप मे दर्ज करवा कर विभिन्न गृह निर्माण सहकारी समितियों को बेच दी गयी जहां पर सहकारी समितियों द्वारा विभिन्न योजनाए सृजित कर दी गयी|इतना ही नहीं उनकी मृत्यु उपरांत अवाप्ति के समय उनकी धर्म पत्नी श्रीमति विमला देवी द्वारा इस जमीन के बदले मुआवजा भी ले लिया गया|

दवे आयोग ने की सजा की अनुशंसा

इस मामले की शिकायत होने पर वर्ष 1995 मे सरकार द्वारा दवे आयोग का गठन किया जाकर मामले की जांच करवाई गयी|जांच मे दवे आयोग द्वारा मुआवजे मे दी गयी राशि के वसूली के आदेश और दोषी लोगो के विरुद्ध कार्यवाही की बात कही गयी|लेकिन 25 साल बाद भी ना तो दोषियों पर कोई कार्यवाही हुई और ना ही वसूली की जा सकी|अलबत्ता इस 150 बीघा जमीन पर सृजित की गयी 9 आवासीय योजनाओं के 10000 से अधिक मतदाता आज भी मूल भूत सुविधायें विकसित होने के बावजूद सरकारी पट्टे को तरस रहे है|

मोश कॉलोनियों के नियमन में विशेष शिथिलता | निकायों से मांगा 20 जून तक पट्टा वितरण प्लान

पॉश कॉलोनियों में ₹400 से ₹1500 गज में पट्टे देगी सरकार

सरकारी भूमि पर पुरानी कॉलोनियों की नियमन दरें ₹1000 प्रति वर्गगज घटाई

500 वर्गमीटर से बड़े भूखंड पर डेढ़ गुणा दरें

नगरीय क्षेत्र — नई नियमन दरें

दरों में ही नहीं, आवेदन की तिथि में भी विशेष छूट

दैनिक भास्कर मे प्रकाशित खबर से साभार

9 कॉलोनियों मे सभी सुविधाएं विकसित मात्र पट्टों पर सरकारी मोहर लगना बाकी

आपको बता दें कि इस विवादित जमीन पर 9 कॉलोनियाँ क्रमश: विद्युत नगर-A,गुरु जंबेश्वर नगर-B,नित्यानन्द नगर-B,शारदा कॉलोनी,ग्रीन कॉलोनी,विद्युत नगर-D,मोती नगर(गुलाब नगर गृह निर्माण सहकारी समिति),मोती नगर(शिव कॉलोनी),मोती नगर(मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति)विकसित हो चुकी है|और यह कॉलोनियाँ वैशालीनगर की पॉश कॉलोनियों मे से एक है|यहाँ पर पार्क,सड़के,सीवरेज,रोड लाइटें आदि समस्त सुविधाएं विकसित है लेकिन कमी जिस बात की है वह है सरकारी पट्टे की|

समान विवाद वाली नजदीक की एक कॉलोनी के 150 निवासियों को मिले 200 रुपए की दर पर पट्टे

ऐसा नहीं है कि सरकार की मंशा पट्टे देने की नहीं है,समान विवाद वाली नजदीक की एक कॉलोनी विद्युत नगर-A के 150 निवासियों को 200 रुपए की दर पर वर्ष 2020 मे पट्टे दिये जा चुके है|लेकिन यह सुविधा उन्ही निवासियों को दी गयी जिन्होने 2013-14 मे जारी एक आदेश पश्च्यात आवेदन किया था,इस तुगलकी फरमान से उपजी आपसी फूट और दलगत राजनीति के चलते इन बाकी 9 सोसाइटीयों को सरकारी पट्टों से महरूम रहना पड़ रहा है|

प्रशासन शहरो के संग अभियान मे पट्टे मिलने की आशंका धूमिल,जेडीए के फॉलोअप केंप की सूची मे नहीं इन 9 कोलोनियों के नाम

वर्ष 2013 के बाद इन कॉलोनियों को पट्टे देने के कई प्रयास किए गए लेकिन जैसा कि बताया गया है कि ऐसा संभव नहीं हो पाया,वर्तमान सरकार द्वारा 2 अक्तूबर से शुरू होने वाले प्रशासन शहरो के संग अभियान मे 10 लाख पट्टे देने का दावा किया जा रहा है,लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि अब तक जेडीए द्वारा प्रकाशित की गयी सूचियों मे इन 9 कॉलोनियों मे से किसी का नाम नहीं है|ऐसे मे सरकार द्वारा चलाये जाने वाले प्रशासन शहरो के संग अभियान मे इन कॉलोनी वासियों को पट्टे की संभावना कम ही नजर आती है|

जनता के नुमाइंदे पट्टा दिलाने का वादा कर हो जाते है गायब

इन 9 कॉलोनियों मे लगभग 9000 हजार मतदाता निवास करते है,इस क्षेत्र से 4 पार्षद और एक विधायक चुन कर स्थानीय जनता का प्रतिनिधित्व करते है|यहाँ के निवासी कई चुनाव देख चुके है,वोट मांगने वाले नेता इन कोलोनिवासियों से पट्टा दिलाने का वादा तो करते है लेकिन आज तक पट्टा नहीं दिलवा पाये|इलाके के वर्तमान नेताजी जबसे चुनाव जीते है और सत्ता मे आए है,अपने चहेतों और रिशतेदारों की ज़मीनों पर तो सरकारी मोहर लगवाने मे कामयाब हो गए है|लेकिन इन कॉलोनियों के बाशिंदों को पट्टे दिलाने के प्रति उदासीन नजर आ रहे है|

वैशालीनगर की नौ कॉलोनियों का मामला..

पूरी तरह विकसित, फिर भी नियमन नहीं

राजस्थान पत्रिका मे प्रकाशित खबर से साभार

4 साल में तीन मंत्रियों के निर्देश, जेडीए में हरकत नहीं

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

जयपुर सड़क, पार्क, रोड लाइट्स, सीवरेज सहित सभी प्रकार की सुविधाएं होने के बावजूद वैशालीनगर की नौ कॉलोनियों के लोग नियमन को तरस रहे हैं। चार साल में तीन नगरीय विकास मंत्री भी इनकी नियमन प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आदेश दे चुके हैं, लेकिन जेडीए हमेशा मामले को अटकाए हुए है। इनमें विद्युत नगर ए-डी, गुरुजंबेश्वर नगर बी, नित्यानंद नगर बी, शारदा कॉलोनी, ग्रीन कॉलोनी, मोती नगर ए-बी-सी आदि कॉलोनियां शामिल है।

हर बार दवे आयोग का बहाना

कॉलोनियों के नियमन में सबसे बड़ा रोड़ा दवे आयोग की रिपोर्ट बताई जाती है। खसरा नंबर 222 से जुड़ी इन कॉलोनियों में मुआवजे को लेकर विवाद उत्पन्न होने के बाद1995 में दवे आयोग का गठन किया गया था। रिपोर्ट में दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी सीधे तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की। इसके बाद पिछले बीस साल से रिपोर्ट की आड़ में यहां हर बार नियमन शिविर या तो लगते नहीं या फिर अटका दिए जाते हैं।

- **1979** में नवजीवन सहकारी समिति ने क्षेत्र में पट्टे काटने शुरू किए।
- **1985** तक यहां पर 50 फीसदी बसावट हो चुकी थी।
- **1990-91** में कुछ लोगों को पट्टे जारी किए जिन्हें निरस्त कर दिया गया।

अधिकांश हिस्से में बसावट हो चुकी है, फिर भी 90 फीसदी लोगों के पास पट्टे नहीं हैं।

महावीर सिंह राठौड़,
महासचिव, विद्युत नगर विकास एवं कल्याण समिति

हम पिछले 38 साल से यहां रह रहे हैं। सभी शुल्क जमा करवा मकान बनवाया। लेकिन बरसों से नियमन अटका हुआ है।

गणेश पूनिया, क्वींस रोड क्षेत्रीय विकास समितियां महासंघ

पहल की, प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी

2013 में तत्कालीन नगरीय विक ास मंत्री शांति धारीवाल ने नियमन के निर्देश दिए। फिर आचार संहिता लग गई। 2016 में तत्कालीन यूडीएच मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने उपायुक्त जोन 7 से कॉलोनियों की पत्रावलियां तलब की, लेकिन ये फाइलें यूडीएच सचिव के पास पहुंची ही नहीं। फरवरी 2017 में नगरीय विकास मंत्री श्रीचंद कृपलानी से क्वींस रोड क्षेत्रीय विकास समितियां महासंघ के पदाधिकारी मिले। मंत्री ने जेडीसी से जोन सात से संबंधित कॉलोनियों की वस्तुस्थिति मांगी। जेडीसी उपायुक्त ने यूडीएच सचिव को इस मामले में दवे आयोग का हवाला दे फिर से दिशा निर्देश जारी करने को कहा है।

एजेण्डा आईटम नंबर–12 (जयपुर विकास प्राधिकरण)

विद्युत नगर "ए" योजना के माननीय दवे जांच आयोग से प्रभावित खसरा नंबर पर सृजित भूखण्डों के नियमन के संबंध में।

प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार है:–

- जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया हैं कि प्रशासन शहरों के संग अभियान–2012 में प्राप्त शिथिलताएं परिपंत्र दिनांक 17.10.2012 में माननीय दवे जांच आयोग से प्रभावित कॉलोनियों के नियमन हेतु सरकारी भूमि मानते हुए नियमन किये जाने हेतु लिखा गया हैं।
- जोन–7 में माननीय दवे जांच आयोग से निम्न योजनाएं प्रभावित हैं:–
  1. विद्युत नगर–ए (खसरा नंबर 222 ग्राम बीड खातीपुरा)
  2. गुरू जम्भेश्वर नगर–बी
  3. नित्यानन्द नगर–बी
  4. शारदा कॉलोनी
  5. ग्रीन कॉलोनी
  6. विद्युत नगर–डी
  7. मोती नगर (गुलाबी नगर गृ.नि.स.स.)
  8. मोती नगर (शिव कॉलोनी)
  9. मोती नगर (मित्र गृ.नि.स.स.)

सरकारी एजेंडा,जिसके अनुसार इन 9 कॉलोनियों को पट्टे दिये पर सहमति बनी थी|

- माननीय दवे जांच आयोग की रिपोर्ट अनुसार उपर्युक्त योजनाओं से संबंधित भूमि का आवंटन सरकार द्वारा डेयरी आदि कार्यों हेतु 30 वर्ष की अवधि के लिये किया गया था, किन्तु उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी के रूप में दर्ज होने के कारण विभिन्न गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा इस प्रकार दर्ज खातेदार से विक्रय अनुबन्ध एवं प्रतिज्ञा–पत्र के आधार पर भूमि क्रय कर योजनाएं बनायी गयी।
- उक्त भूमि वर्तमान में अजमेर रोड पर विकसित क्षेत्र में आ रही हैं एवं अधिकांश भूमि पर भवन निर्माण हो चुके हैं। कृषि भूमि नियमन संबंधी नवीनतम निर्देशानुसार राजकीय भूमि एवं अवाप्तशुदा भूमि पर भी गृह निर्माण सहकारी समितियों की विकसित योजनाओं को आवासीय आरक्षित दर की 25 प्रतिशत राशि लिया जाकर राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से नियमन किये जाने के प्रावधान हैं।
- अतः जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत विद्युत नगर–ए योजना (खसरा नंबर 222 ग्राम बीड खातीपुरा) जो कि माननीय दवे जांच आयोग से प्रभावित हैं, की भूमि को सिवायचक भूमि मानते हुए आरक्षित दर की 25 प्रतिशत दर पर योजना का नियमन किये जाने की स्वीकृति प्रदान कराये जाने के संबंध में प्रकरण निर्णयार्थ प्रेषित किया गया हैं।

उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत विद्युत नगर–ए योजना (खसरा नंबर 222 ग्राम बीड खातीपुरा), जो कि माननीय दवे जांच आयोग से प्रभावित हैं, की भूमि को सिवायचक भूमि मानते हुए आरक्षित दर की 25 प्रतिशत दर पर योजना का नियमन किये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।

समिति ने विचार विमर्श उपरान्त उक्त खसरा नम्बर पर आवासीय निर्माण होने की स्थिति को देखते हुए भूमि को सिवायचक मानते हुए नियमन करने का निर्णय लिया गया। आवासीय भूखण्डों में दिनांक 17.06.1999 से पूर्व की कॉलोनियों में नियमन हेतु दरों का निर्धारण एजेण्डा आईटम नं. 5 के अनुसार रहेगा। पूर्व में जिन भूखण्डों में नियमन राशि जमा हो चुकी है, उनमें राशि लौटायी नहीं जायेगी। इस निर्णय पर वित्त विभाग के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

जवाब मांगते सवाल?

1. आखिर सरकार की मंशा इन 10000 मतदाताओं को पट्टे देने की क्यूँ नहीं है?
2. आखिर क्यूँ समान विवादों के बावजूद नियमितीकरण की दरों मे असमानता रखी गयी|
3. आखिर क्यूँ एक कॉलोनी विशेष को रियायती दरों पर पट्टे जारी किए गए?
4. आखिर क्यूँ सरकार और उसके नुमाइंदे कुछ भूमिधारकों द्वारा जमा करवाए गए भूमि रूपान्तरण और विकास शुल्क को समायोजित नहीं करने पर अड़े हुए है?
5. आखिर क्यूँ 25 साल से अधिक पुरानी कॉलोनियों का नियमन आज की दर पर किया जा रहा है?
6. जब सरकार प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाकर सरकारी जमीन पर जमे हुए कब्जेधारियों/बिना स्वामित्व/कागजात वाले लोगो को धारा 69(A) के तहत पट्टे जारी करने की मंशा रखती है तो इन 9 कॉलोनीवासियों के साथ सौतेला व्यवहार क्यूँ किया जा रहा है?
7. आखिर वोटो की राजनीति करने वाले नेता इन 9 कॉलोनियों की आवाज क्यूँ नहीं बन रहे है?
8. क्या सरकार की तानाशाही के चलते, इन 9 कॉलोनीवासियों को मजबूरन आने वाले चुनावों मे नोटा का इस्तेमाल करना पड़ेगा?

किसी भी समाचार पत्र-पत्रिका,न्यूज चेनल मे इस विशेष रिपोर्ट के प्रकाशन से पूर्व पोर्टल की आधिकारिक अनुमति आवश्यक है|